



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-आर.जे.-अ.-21032026-271168
CG-RJ-E-21032026-271168

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1348]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 19, 2026/फाल्गुन 28, 1947

No. 1348]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 19, 2026/PHALGUNA 28, 1947

रेल मंत्रालय

(पश्चिम मध्य रेलवे)

अधिसूचना

कोटा, 16 मार्च, 2026

का.आ. 1413(अ).—केन्द्रीय सरकार, रेलवे (संशोधन) अधिनियम, 2008 (2008 का 11) जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20क के उपखंड (I) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि लोक प्रयोजन के लिए, यह भूमि जिसका संक्षिप्त विवरण इससे उपाबद्ध अनुसूची में दिया गया है, राजस्थान राज्य के सवाई माधोपुर जिले में सवाईमाधोपुर – गुड्स यार्ड के लाइन नंबर 1,2,3,4 और 5 के पुनःविन्यास (रीमॉडलिंग) की सी.एस.एल./सी.एस.आर बढ़ाने हेतु कार्य की विशेष रेल परियोजना के निष्पादन के लिये आवश्यक है, ऐसी भूमि के अर्जन करने के आशय कि घोषणा करती है;

उक्त भूमि के लिये इच्छुक कोई व्यक्ति, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन कि तारीख से तीस दिन के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उप-धारा (1) के अधीन उपर्युक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अर्जन और उपयोग के संबंध में आक्षेप कर सकेगा; प्रत्येक ऐसा आक्षेप सक्षम प्राधिकारी अर्थात्, उपखंड अधिकारी सवाई माधोपुर, तालुका सवाई माधोपुर, जिला सवाई माधोपुर को लिखित रूप में किया जाएगा जो कि आक्षेप का आधार होगा। सक्षम प्राधिकारी आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप से या कानूनी प्रकटशनर के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और सभी ऐसे आक्षेपों की सुनवाई और जाँच करने के पश्चात्, यदि आवश्यक समझे तो, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों के लिये अनुमति देगा या अनुमति प्रदान नहीं करेगा;

उक्त अधिनियम कि धारा 20घ कि उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिया गया आदेश अंतिम होगा। इस अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि योजना और अन्य ब्यौरे उपलब्ध हैं और इच्छुक व्यक्ति द्वारा सक्षम प्राधिकारी के उक्त उल्लेखित कार्यालय में उनका निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

राजस्थान राज्य के सवाई माधोपुर जिले में गुड्स यार्ड के लाइन नंबर 1,2,3,4 और 5 के पुनःविन्यास (रीमॉडलिंग) की सी.एस.एल./सी.एस.आर बढ़ाने हेतु कार्य की विशेष रेल परियोजना के लिये अधिग्रहण की जानेवाली संरचना सहित या रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य : राजस्थान							जिला : सवाई माधोपुर		
गाँव : कुतलपुरा जाटान							तालुका : सवाई माधोपुर		
क्र.सं.	जिले का नाम	तहसील का नाम	गांव का नाम	खसरा संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	अवास रकबा क्षेत्रफल वर्ग मीटर	अवास रकबा क्षेत्रफल हेक्टेयर	कुल रकबा (हेक्टेयर)
1	सवाई माधोपुर	सवाई माधोपुर	कुतलपुरा जाटान	10	निजी	बंजड़	105	0.0105	6.4100

[कम्प्यूटर न. 354450 फा. सं. ई.-पमरे-कोटा0इंजीनीरिंग(एसएलएम1)/2/2025-वरी. मंडल इंजी.(सम०)/कोटा/पमरे]

महेंद्र सिंह, वरिष्ठ मंडल इंजीनियर (समन्वय)

MINISTRY OF RAILWAYS

(West Central Railway)

NOTIFICATION

KOTA, the 16th March, 2026

S.O. 1413(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section(I) of section 20A of of the Railways (Amendment) Act, 2008 (11 of 2008) (hereinafter referred in as the said act), the Central Government after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which has given in the schedule annexed hereto, is required for execution of the Special Railway Project, namely, Sawai Madhopur – SWM Station :- Remodelling Goods Yard Line No. 1, 2, 3, 4 & 5 to Increase CSL/CSR. Project in District Sawai Madhopur in the State of Rajasthan, hereby declares its intention to acquire such land:

Any person interested in the said land may, within a period of thirty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, raise objection to the acquisition and use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(I) of section 20D of the said Act:

Every such objection shall be made to the competent authority, namely, Sub Divisional Officer Sawai Madhopur , Taluka Sawai Madhopur, District Sawai Madhopur , in writing and shall set out the grounds thereof and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by legal practitioner and may after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the competent authority under sub-section (II) of final.

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquire with or without structure falling within, for the Special Railway Project Namely: Sawai Madhopur – SWM Station :- Remodelling Goods Yard Line No. 1, 2, 3, 4 & 5 to Increase CSL/CSR. in District Sawai Madhopur in the State of Rajasthan.

State : Rajasthan				District : Sawai Madhopur					
Village : Kutalpura Jatan				Taluka : Sawai Madhopur					
S. No.	Name of District	Name of Tehsil	Name of Village	Khasra No.	Type of Land	Nature of Land	Unacquired Area (Sq. Metre)	Unacquired Area (Hectare)	Total Area (Hectare)
1	Sawai Madhopur	Sawai Madhopur	Kutalpura Jatan	10	Personal	Banjad (Barren)	105	0.0105	6.4100

[Computer No. 354450 File No. WCR-KOTA0ENGG(SLM1)/2/2025-O/o Sr. DEN(Co)/KOTA/WCR]

MAHENDRA SINGH, Senior Divisional Engineer (Coordination)